

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE-PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली - 110011 (भारत)
NEW DELHI - 110011 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/66/2022-2023

28 नवम्बर, 2022

सेवा में,

श्री राजेन्द्र सोना
10, हिल न्यू रोड, नॉर्दन टाउन,
पूर्वी सिंहभूम, बिष्टुपुर,
जमशेदपुर, झारखंड-831001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना हेतु।

महोदय,

उक्त विषय में कृपया आपने दिनांक 05.11.2022 का पत्र जो इस सचिवालय में 10.11.2022 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ दस रुपये का पो.आ.सं. 58एफ़ 963790 संलग्न कर अपने 19.07.2022 के आवेदन पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्रश्नवार चाही है।

आप के आवेदन की जानकारी निम्नलिखित है।

01.प्रश्न संख्या 1,2,3,4,6,7 एवं 8 के लिए प्रति संलग्न है।

02.प्रश्न संख्या 5 के लिए आप निम्नलिखित लिंक पर देख सकते हैं।

https://vicepresidentofindia.nic.in/designated_authorities_under_rti_act

3. प्रश्न संख्या 9 के अधोहस्ताक्षरी अधिकारी ही हैं।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि इस विषय में आप श्रियुत मुख्य सचिव, झारखंड शासन, राँची, झारखंड के कार्यालय से संपर्क करने का कष्ट करें।



(राजेश कुमार शर्मा)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

rajeshk.s@sansand.nic.in

भारत के उप-राष्ट्रपति का सचिवालय
SECRETARIAT OF THE VICE - PRESIDENT OF INDIA
नई दिल्ली - 110011 (भारत)
NEW DELHI - 110011 (INDIA)

फाइल संख्या वीपीएस 25.07.2022 (पी)

25 जुलाई, 2022

श्रीयुत मुख्य सचिव,
झारखंड शासन,
राँची, झारखंड।

प्रिय महोदय,

माननीय उप-राष्ट्रपति जी को संबोधित श्री राजेन्द्र सोना, 10 हिल व्यू रोड, नॉर्थन टाउन, पोस्ट-बिष्टुपुर, थाना-बिष्टुपुर, जमशेदपुर का दिनांक 19.07.2022 का पत्र इस सचिवालय में 22.07.2022 को प्राप्त हुआ है।

अतः पूर्ण विवरण युक्त इनका पत्र उचित कार्यवाही/ध्यानाकर्षण हेतु आपको प्रेषित किया जा रहा है।

धन्यवाद

भवदीय,

(पवन सिंह बिष्ट)
अवर सचिव

प्रति सूचनार्थ-

श्री राजेन्द्र सोना, 10 हिल व्यू रोड, नॉर्थन टाउन, पोस्ट-बिष्टुपुर, थाना-बिष्टुपुर, जमशेदपुर, कृपया पत्र के संदर्भ में श्रीयुत मुख्य सचिव, झारखंड शासन, राँची, झारखंड के कार्यालय से संपर्क करें।

प. व. सिंह
25.07.2022
(पवन सिंह बिष्ट)
अवर सचिव

(सूचनाधिकार मामला अतिआवश्यक)

R.T.I. Act 2005, Sec. - 6 के तहत अनुरोध पत्र

पत्रांक संख्या : 15/RTI/2022-2023

दिनांक :- 5/11/2022

सेवा में,

श्रीमान् जन सूचना पदाधिकारी (P.I.O.) महोदय,

सह

श्रीमान् vice president
of India, 6, Maulana Azad Road,
New Delhi - 110001विषय : **R.T.I. Act 2005, Sec.-6 (1), Sec-6 (3) के तहत अनुरोध पत्र के संबंध में।**प्रसंग : दिनांक 19-7-2022 मेरे आवेदन पत्र के संदर्भ में ।
Speed Post EJ 237947331
(पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक)

महोदय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मुझे यथाशीघ्र सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाए ।

प्रश्न सं0-1 यह कि, दिनांक 19-7-2022 को मैंने एक आवेदन पत्र आपके विभाग को स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा था । इस आवेदन पत्र पर आज तक आपके द्वारा क्या-क्या कार्रवाई किया गया बताए या आपके द्वारा क्या-क्या दिशा-निर्देश दिया गया बताए । इससे सम्बन्धित जो पत्र या दिशा-निर्देश या आलेख दिया गया उसका प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा किया जाए ।

प्रश्न सं0-2 यह कि, दिनांक 19-7-2022 का आवेदन पत्र यदि किसी विभाग को हस्तांतरण (Transfer) किया गया । उस विभाग का नाम, उस

क्रमशः.....2

प्रश्न सं०-9 यह कि, R.T.I. Act 2005, Sec-6(3) (ii) का कड़ाई से पालन करने की कृपया किया जाए और इस अधिनियम का पालन कराने वाले नोडल पदाधिकारी का नाम, सम्पर्क सूत्र एवं पत्राचार का पता भी बताए।

अतः आपसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र सभी सूचना उपलब्ध कराने की कृपया किया जाए।

आपका विश्वासी

संलग्न :

1. I.P.O. Rs. 10/-
2. I.P.O. No.58F 963790
3. आवेदन पत्र एवं Speed Post Slip का छाया प्रतिलिपि संलग्न।

स्थायी पता-

पत्राचार का पता-

40mg
श्री. जे. सी. सोन।
10, हिल्स वू स्ट्रीट
वाल्मिल टाउन,
पूर्वी सिंदरूम,
बिजपुर, जमशेदपुर
आर०२२९५ - 831001

Mob. No - 7091136075

नोट :- ऐसे वाद जिसमें आयोग ने जन सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आर०टी०आई० एक्ट 2005 की धारा 20(1) एवं 20(2) तथा लोक प्राधिकार के विरुद्ध 19(8) (b) में कार्रवाई की है उसे निष्पादित माना जायेगा और उसे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जायेगा, क्योंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि **"Even where fine is imposed or disciplinary action is ordered, it is no part of the duty of the officials who passed the order to ensure that Fine is recovered and disciplinary action is taken."**



गरीब का अतिआवश्यक पत्र

सेवा में,

दिनांक- 19-7-2022

श्रीमान Vice president

of India, 6, Maulana Azad Road, New
Delhi - 110001

विषय:- 3,000/-रु0 राशि प्रति माह भुगतान करने का अनुमति प्रदान करने और
झारखण्ड सरकार अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर गरीबों को सहायता
करने के संबंध में।

प्रसंग:- 1) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत घटक-3 (भागीदारी में
किफायती आवास) के तहत बागुनहातु परियोजना के प्रथम किस्त के
भुगतान के संदर्भ में।

2) पत्रांक-03/म0सं0स0 जन-आ0-01/22/830, दिनांक-12.05.
2022

महाशय,

सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राजेन्द्र सोना, पत्राचार
पता-10, सेन्ट्रल अवेन्यू रोड, नॉर्थ, सिटी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी
सिंहभूम, झारखण्ड-832001।

मैं अभी आर्थिक रूप से कमजोर हूँ और गरीब हूँ। 3,000/-रु0
राशि प्रति माह भुगतान कर सकता हूँ। इसकी अनुमति दिया जाए। इस
मामले में झारखण्ड सरकार अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर गरीबों
की सहायता करने की कृपया किया जाए। और बैंक से ऋण दिलाया
जाए। जिसे मैं जमा कर सकूँ। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।

सधन्यवाद

संलग्न

1) आवश्यक दस्तावेज।

आपका विश्वासी

Rang

राजेन्द्र सोना

पता-10, हिल व्यू रोड

नॉर्थन टाउन, पो0-बिष्टुपुर

थाना-बिष्टुपुर, जमशेदपुर,

मोबाइल नं0-8521754423

E1237947331IN TVR:6974237947331

SP JAMSHEDPUR HD (831001)

Counter No: 2, 19/07/2022 18:51

To: VICE PRESIDENT, NEW DELHI

PIN: 110001, New Delhi GPN

From: RAJENDRA SONA, BISTUPUR

Wt: 30gms

Amt: 41.30 (Cash) Tax: 6.30

Track on www.indianpost.gov.in

Dial 18002666666 (Wear Masks, Stay Safe)

